न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/ डिक्री/टी ए/3510/2005/जैसलमेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर जिला जैसलमेर

अपीलार्थी

बनाम

शाहजादी पुत्री सुराना पत्नी मारूखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम दव तहसील व जिला जैसलमेर फौत जरिये कायम मुकाम–मेहराब खां पुत्र मारू खां

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित

श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राज. अभिभाषक
श्री समीर अहमद अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 16.10.2019

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर कैम्प जैसलमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17–4–2004के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के न्यायालय में तहसीलदार जैसलमेर द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

कर कथन किया कि पटवारी करडा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी सुराना अवैध रूप से पाक पलायन कर गया है अप्रार्थी के नाम ग्राम दव तहसील जैसलमेर में खसरा नम्बर 280 रकबा 37बीघा 15विस्वा व खसरा नम्बर 281 रकबा 36 बीघा खातेदारी में दर्ज है। अतः अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त कृषि भूमि को राजकीय घोषित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर ने प्रकरण में 60 दिन का उज्रदारी नोटिस जारी कर प्रकाशन करवाया गया लेकिन निर्धारित अवधि में कोई उज्रदारी प्रस्तुत नहीं होने पर अपने आदेश दिनांक 20-7-92 से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक घोषित करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर शाहजादी पुत्री सुराना ने लगभग 11 वर्ष बाद दिनांक 24-3-04 को राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 17-4-2004 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये वादग्रस्त आराजी शाहजादी पत्नी मारूखां के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का खातेदार प्रत्यर्थी का पिता सरना था जिसकी पटवारी हल्का द्वारा विधिवत जांच करने पर पाया कि वह बिना विधिक पासपोर्ट के अवैध रूप से पाक पलायन कर गया, इस कारण धारा 63(8) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके खातेदारी अधिकार समाप्त होकर भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी थी। इस बात का पूर्ण विवेचन एवं साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद ही

विचारण न्यायालय ने विधिक निर्णय पारित किया था जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने निरस्त करने में विधिक भूल की है। उनका तर्क है कि प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के बाद विचारण न्यायालय ने उज्रदारी प्रस्तुत करने के लिये 60 दिन का नोटिस जारी किया जिसमें प्रत्यर्थी ने कोई उज्रदारी प्रस्तुत नहीं की। इससे सिद्ध है कि विवादित भूमि पर उसका कोई हक स्वत्व एवं अधिकार नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी। मियाद को क्षमा कराने के लिये कोई समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये गये थे। इस कारण अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त कर देना चाहिये था। किन्तु उन्होंने प्रत्यर्थी की अपील को गुणावगुण पर स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार जैसलमेर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय पारित किया है प्रत्यर्थी के पिता सराना का अवैध तौर पर पाकिस्तान जाना किसी भी प्रकार से साबित नहीं हुआ है न ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत रेकार्ड पर लिये गये हैं। पटवारी हल्का द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाने में दर्ज कराया जाना भी प्रमाणित नहीं है। सुराना जो कि वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार थे,का देहान्त ग्राम दव में हुआ था। उनके देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी पर उनका ही कब्जा चला आ रहा है। प्रत्यर्थी शाहजादी पसुत्री सुराना अनपढ महिला थी इसलिये उसको विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो पाई। इस कारण अपीलीय न्यायालय के समक्ष समुचित समय में अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी। अपीलीय न्यायालय के समक्ष जानकारी की दिनांक से उसने समयावधि में अपील प्रस्तुत की है। इसलिये राज्य सरकार द्वारा

प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अपने कथन के समर्थन में 2016(4) डी एन जे राज.पेज 1793, 2017आर आर डी पेज 148 की नजीरें पेश की।

6. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हल्का पटवारी ने तहसीलदार को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अप्रार्थी सुराना अवैध रूप से पाक पलायन कर गया है अप्रार्थी के नाम ग्राम दव तहसील जैसलमेर में खसरा नम्बर 280 रकबा 37बीघा 15विस्वा व खसरा नम्बर 281 रकबा 36 बीघा खातेदारी में दर्ज है। अतः अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त कृषि भूमि को राजकीय घोषित किया जावे। तहसीलदार जैसलमेर की ओर से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर ने प्रकरण में 60 दिन का उज्रदारी नोटिस जारी कर प्रकाशन करवाया गया लेकिन निर्धारित अवधि में कोई उज्रदारी प्रस्तुत नहीं होने पर निर्णय पारित करने से पूर्व पूर्ण जांच कर हल्का पटवारी के बयान दर्ज किये हैं जिसने अपने बयानों में यह कथेन किया है कि उक्त खातेदार के पाक पलायन करने की रिपोर्ट मैंने तहसील में दी थी जो प्रदर्श–2 है। उक्त खातेदार आज से साल डेढ साल पहले अवैध रूप से पाक पलायन कर गया है। यह अकेला ही पाक गया है। एक लडकी है जो शादी शुदा है।सुराना को मैं अच्छी तरह जानता था। यह 70 वर्ष के लगभग था। ग्रम दव में इस कृषि भूमि के अलावा इसके कोई सम्पति नहीं है। उक्त खसरा में किसी की काश्त नहीं है। जब मैं वसूली और गिरदावरी कार्य से भ्रमण में ग्राम दव गया था तब सरपंच ग्राम पंचायत करडा ने मुझे इस व्यक्ति के पाक पलायन करने की जानकारी दी तब मैंने

दव गावं में भी पूछताछ मौतविरों से मौखिक की तो सभी ने इस व्यक्ति को पाक जाना बताया। बाद जांच उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20–7–92 से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक घोषित करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर शाहजादी पुत्री सुराना ने लगभग 11 वर्ष बाद दिनांक 24–3–04 को राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपील इतनी देरी से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं सन्तोषजनक कारण अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं बताया गया है। उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण दर्ज करने के बाद प्रकरण में 60 दिन का उज्रदारी नोटिस जारी किया जाकर प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित अवधि में कोई उज्रदारी प्रस्तुत नहीं होने पर हल्का पटवारी के बयान लेखबद्ध कर सरकारी पैरोकार की बहस सुनकर आदेश पारित किया गया है।

8. प्रत्यर्थी शाहजादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उसका पिता 16साल पहले ही फौत हो गया। उसकी कब्र भी मौके पर मौजूद है। सभी गांव के लोगों सरपंच ग्राम सेवक को यह ज्ञात है। लेकिन प्रत्यर्थी की ओर से कोई ऐसी सन्तुष्टिप्रद साक्ष्य इस बाबत अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रत्यर्थी को प्रथमतः यह सिद्ध करना पडेगा कि सुराना का देहान्त किस दिनांक को किस स्थान पर हुआ था साथ ही प्रत्यर्थी को सरना के मृत्यु से पूर्व अन्तिम बार किस स्थान पर निवासरत रहा। इस बाबत भी सन्तुष्टिप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्यर्थी के पिता का इस अवधि में जीवित रहने का कोई सन्तुष्टिप्रद प्रमाण अथवा स्थानीय निवासीगण सरपंच आदि के कोई शपथ पत्र इत्यादि भी प्रस्तुत नहीं किये गये। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पश्चात स्वयं उपस्थित होकर इस निर्णय को चुनौती नहीं दी बल्कि आक्षेपित निर्णय के

लगभग 11 वर्ष पश्चात सरना की पुत्री प्रत्यर्थी शहजादी द्वारा अपील प्रस्तुत की। आक्षेपित निर्णय पारित करने के पश्चात सरना की मृत्यु की दिनांक एवं उसकी इस अवधि में उपस्थिति किस स्थान पर रही तथा मृत्यु किस स्थान पर हुई इत्यादि समस्त तथ्यों के बाबत कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इन सब तथ्यों की जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

९. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को निर्णय में किये गये विवेचन अनुसार उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है। प्रत्यर्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25–10–2019 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष